बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–406/2019 – 2436 /पटना, दिनांक– 20/7/2020

प्रेषक,

संजय दूबे भा0 प्र0 से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **औरंगाबाद जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दाउदनगर के अधीन रफीगंज प्रखंड के तेमुड़ा से बेल–पौथू तक सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2.658 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 182.079 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 14.908 लाख अर्थात कुल राशि 196.987 लाख** (एक करोड़ छियानबे लाख अंठानबे हजार सात सौ रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय– 103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2020–21 में बिहार राज्य के औरंगाबाद जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दाउदनगर के अधीन रफीगंज प्रखंड के तेमुड़ा से बेल–पौथू तक सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य जिसकी **लम्बाई 2.658 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 182.079 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 14.908 लाख अर्थात कुल राशि 196.987 लाख (एक करोड़ छियानबे लाख अंठानबे हजार सात सौ रूपये)** मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड– 37–4515001030105 है के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में **300.00** करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, औरंगाबाद एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–406/2019 के पृ0 सं0–05/टि0 पर दिनांक 23.06.2020 को किया गया।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0–मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0 03–406/2019 के पृ0 सं0–07/टि0 पर दिनांक 30.06.2020 को प्राप्त है।

16/7/2020

आतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रकिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टिताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0 03–406/2019 के पृ0 सं0– 9 /टि0 पर दिनांक 7.7.2020 ,को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवतापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उतरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

16/7/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–406/2019-2436 /पटना, दिनांक 20/7/2020

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक– मु0 अ0–4 (मु0) रा0 यो0–03–406/2019-2436 /पटना, दिनांक 20/7/2020

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/उप विकास, आयुक्त औरंगाबाद/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता–1, पटना ग्रा0 का0 वि0/मु0 अ0–4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2020

अपर सचिव